रायगढ़ जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 का शुभारंभ

यातायात नियमों के प्रचार-प्रसार के साथ सप्ताहभर आयोजित होंगे विविध जागरूकता कार्यक्रम

- जागरूकता सप्ताह में परिवहन विभाग जारी करेगा लर्निंग लायर्यंस
- ट्रैफिक कार्ड जारी करने यातायात पुलिस लगाएगी शिविर
- वाहन चालकों के लिए नेत्र और स्वास्थ्य शिविर किए जाएंगे आयोजित

रायगढ़। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले में यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के मार्गदर्शन पर दिनांक 11 जनवरी से 17 जनवरी 2023 तक जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा जिसका शुभारंभ आज पुलिस सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम से किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिक निगम आयुक्त संबित मिश्रा, विशिष्ट अतिथि जिला परिवहन अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर दुष्यंत रायस्त, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा एवं उप पुलिस अधीक्षक (IUCAW) निकिता तिवारी थे। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। एडिशनल एसपी संजय महादेवा द्वारा सप्ताह भर चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के कार्यक्रमों की रूपरेखा के संबंध में कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को जानकारी दिया गया, वे बताए कि यातायात पुलिस द्वारा नुक्कड़ नाटक, हेलमेट रैली व विविध माध्यमों से यातायात नियमों का प्रचार प्रसार करेगी साथ ही यातायात सप्ताह दौरान ट्रैफिक कार्ड शिविर लगाये जायेंगे, स्कूली बच्चों के चित्रकला, स्लोगन, रंगोली आदि विविध कार्यक्रम आयोजित होना है और वाहन चालकों के नेत्र एवं स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम भी आयोजित किया जावेगा। कार्यक्रम का समापन 17 जनवरी को होगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला परिवहन अधिकारी दुष्यंत रायस्त ने जिले में सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में विभागीय एनालिसिस बताएं कि ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं ग्रामीण इलाकों में हो रही है। प्राय: देखा गया है कि बिना हेल्मेट पहने राइडर दुर्घटना में जनहानि का शिकार हो रहे हैं। वे आगे बताएं कि दुर्घटनाओं में कमी लाने आमजन को स्वयं जागरूक होने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने, तीन सवारी और ओवर स्पीड वाहन चलाने से बचने की सलाह दिये। कार्यक्रम में जिला परिवहन जानकारी दिए कि परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान लर्निंग लाइसेंस जारी किया जावेगा जिसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएं , जिनका लाइसेंस नहीं बना है। परिवहन विभाग आने वाले समय में अधिक से अधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करेगी।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम कमिश्नर संबित मिश्रा सड़क दुर्घटना के संबंध में अपने अनुभव उपस्थित लोगों से साझा किए और बताए कि नागरिकों को अपनी आदत में यातायात नियमों को शुमार करना चाहिए। टू-व्हीलर चालक हेलमेट का इस्तेमाल पुलिस से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर करें ना केवल राइडर बल्कि पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट लगाना चाहिए जिससे असमय होने वाले दुर्घटनाएं जानलेवा नहीं होंगी। मिश्रा बताए कि कभी भी शराब सेवन कर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और ओव्हर स्पीड से बचना चाहिए। कार्यक्रम में उन्होंने प्रण लेकर यातायात नियमों का पालन करने प्रेरित किये और एनसीसी कैडेट्स से बोले कि बच्चों की बात पेरेंट्स मानते हैं इसलिए अपने पेरेंट्स से ट्रैफिक नियमों का पालन कराएं।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों द्वारा रेडियो मिर्ची द्वारा जारी किए गए अवयर्नेस जिंगल्स का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में होतेंद्र व उनके साथियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में डीएसपी निकिता तिवारी द्वारा रायगढ़ पुलिस की ओर से कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए सभी का धन्यवाद प्रेषित किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रिंसिपल डेनियल सर द्वारा किया जा रहा था। कार्यक्रम के अंत में जागरूकता हेलमेट/ऑटो रैली का मुख्य अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। सप्ताह भर चलने वाले जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से रायगढ़ यातायात पुलिस रहवासियों को यातायात नियमों का पालन करने प्रेरित किया जावेगा । कार्यक्रम में प्रिंट/इलेक्ट्रिानिक मीडिया के साथीगण, दिव्य शक्ति महिला समूह की कविता बेरीवाल और समूह के सदस्यगण, एनजीओ के गौरव शर्मा व उनकी टीम, एनजीओ फास्टेक कम्युमूटर एंड वेलफेयर सोसायटी, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा मोटर्स के सदस्यगण, एनसीसी कैडेट्स तथा यातायात पुलिस के अधिकारी, कर्मचारियों के साथ काफी संख्या में वार्डवासी उपस्थित थे।

उद्यानिकी फसल लेकर संतराम ने बढ़ाया मुनाफा

- एक एकड़ में ले रहे परवल, फूलगोभी, बरबट्टी एवं आलू की फसल

रायगढ़। किसानों को आर्थिक रुप से मजबूती प्रदान करना शासन की पहली प्राथमिकता रही है। यही कारण है कि शासन ग्रामीण एवं किसानों को सीधा लाभ प्रदाय किया जा सके ऐसे योजनाओं को संचालित कर उन्हे आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। जिसके तहत आज उद्यानिकी विभाग में संचालित योजनाओं का लाभ किसान बढ़-चढ़कर ले रहे है और अच्छा लाभ भी अर्जित कर रहे है। जिससे उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है।

विकासखण्ड रायगढ़ के ग्राम साल्हेओना के कृषक संतराम सिदार पूर्व से परंपरागत धान की खेती करते आ रहे थे। जिससे उन्हे समर्थन मूल्य में धान विक्रय कर अच्छा लाभ हो रहा था, लेकिन सब्जी फसलों में कम रकबा में धान से अधिक मुनाफा को देखते हुए सब्जी की खेती की ओर रुझान बढ़ा, परंतु सुरक्षा हेतु फेंसिंग की सुविधा नहीं थी।

इसी दौरान उन्होंने उद्यान विभाग से संपर्क कर विभागीय योजना की जानकारी ली। विभागीय अधिकारी ने उन्हें सामुदायिक फेंसिंग योजना की जानकारी देने पर उन्होंने इस योजना का लाभ लेते हुए अपने खेत में फेंसिंग कराया। इसके अलावा बाड़ी योजना अंतर्गत साग-सब्जी की खेती प्रारंभ किया। वर्तमान में सिदार ने 01 एकड़ में परवल, आलू, फूलगोभी व बरबट्टी जैसे उद्यानिकी फसल ले रहे हैं। प्राप्त फसल को स्थानीय बाजार में विक्रय करते हुए 6 माह में अब तक लगभग 1 लाख रुपये से अधिक की आमदनी अर्जित कर चुके है। इसके अलावा विभागीय योजना का लाभ लेते हुए 2 लाख रुपए का पैक हाउस निर्माण करवाया है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष राष्ट्रीय बागवानी मिशन से बैगन फसल हेतु 10 हजार रूपये का अनुदान सीधे उनके खाते में प्राप्त हुआ है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा योजनाओं के माध्यम से किसानों के आय संवर्धन की दिशा में किए जा रहे प्रयास के लिए प्रशासन व उद्यानिकी विभाग को आभार व्यक्त किया।

खरसिया पुलिस के के दबाव में आदतन आरोपी भूपेन्द्र ने कोर्ट में किया सरेंडर

- आरोपी ने पुलिस अभिरक्षा में आरक्षकों से धक्का-मुक्की हुज्जतबाजी कर दिया था देख लेने की धमकी
- न्यायालय समर्पण के बाद आरोपी को जेल वारंट पर किया गया जेल दाखिल
- वर्ष 2021 में था आरोपी जिला बदर, चौकी खरसिया के गुण्डा लिस्ट में दर्ज है भूपेन्द्र वैष्णव का नाम

रायगढ़। पुलिस अभिरक्षा में पुलिसकर्मियों के साथ हुज्जतबाजी कर देख लेने की धमकी देने वाले आरोपी भूपेन्द्र वैष्णव निवासी खरसिया द्वारा खरसिया पुलिस की पतासाजी के बढ़ते दबाव में कल दिनांक 10.01.2023 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया गया है। आरोपी भूपेन्द्र वैष्णव की खरसिया पुलिस को अप.क्र. 232/2020 धारा 186, 353, 332, 189, 324 भादवि के अपराध में तलाश थी।

ज्ञात हो कि 24 अप्रैल 2020 को थाना खरसिया में महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ कर्मचारी द्वारा भूपेन्द्र वैष्णव एवं आरती वैष्णव के द्वारा जुआ खेलाने का झूठा आरोप लगाकर दो लाख रूपये का मांग कर नहीं देने पर सोशल मिडिया के माध्यम से बदनाम एवं अपमानित करने एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंधी आवेदन पर आरोपियों के विरूद्ध उद्यापन की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। कोविड-19 संक्रमण के दौरान दिनांक 02.05.2020 को खरसिया पुलिस आरोपी के घर जाकर पतासाजी किया गया। उसके मकान में उसकी पत्नि आरती वैष्णव मिली जो पूछताछ करने पर भुपेन्द्र वैष्णव को कहीं चले जाना बताई। भुपेन्द्र वैष्णव को जोबी (गोरपार) में पता तलाश कर पकड़ा गया। आरोपी भूपेन्द्र वैष्णव कोरोना(कोविड़-19) वायरस के संक्रमण को रोकने के संबधी जिला दण्डाधिकारी के आदेशों के उल्लंघन करने पर अप.क्र. 229/2020 धारा 188, 269,270 IPC तथा 3 महामारी अधिनियम, 1897 के तहत कार्रवई कर आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था। वैष्णव दिनांक 02.05.2020 को आरोपी भूपेन्द्र पुलिस अभिरक्षा में रात्रि करीब 11:00 बजे बिना किसी को बताये थाना के बाहर भागने के प्रयास में जाने लगा जिसे देख कर ड्यूटी में तैनात आरक्षक रोके जिन्हें भूपेन्द्र वैष्णव उत्तेजित होकर हुज्जतबाजी कर धक्का-मुक्की किया। घटना के संबंध में ड्यूटीरत आरक्षक द्वारा थाना प्रभारी को आवेदन दिये जाने पर आरोपी भूपेन्द्र वैष्णव के विरूद्ध अप.क्र. 232/2020 धारा धारा 186, 353, 332, 189, 324 भादवि कायम किया गया था। आरोपी जिला बदर के बाद से फरार था, खरसिया पुलिस लगातार आरोपी की पतासाजी कर रही थी, पुलिस के बढ़ते दबाव के बीच आरोपी द्वारा माननीय न्यायालय में आत्म समर्पण किया गया है , जिसे जेल वारंट पर खरसिया पुलिस द्वारा जिला जेल रायगढ़ दाखिल किया गया है। आरोपी पर थाना खरसिया और पुलिस चौकी खरसिया में कई अपराध दर्ज हैं, खरसिया पुलिस समय-समय पर आरोपी पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया है।

चिटफंड मामले में फरार साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड कंपनी का मुख्य डायरेक्टर गिरफ्तार

- कंपनी साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड के विरुद्ध थाना चक्रधरनगर और चौकी जूटमिल पुलिस में दर्ज हैं चिटफंड का अपराध
- चक्रधरनगर पुलिस ने जिला बलौदाबाजार से प्रोडक्शन वारंट पर लाई रायगढ़

रायगढ़। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन पर चिटफंड मामलों के फरार आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी निरंतर जारी है। इसी क्रम में कल चक्रधरनगर पुलिस की टीम द्वारा अनियमित वित्तीय कंपनी साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड के संचालक आरोपी शशांक बी भापकर को उप जेल जिला बलौदा बाजार (छत्तीसगढ़) से प्रोडक्शन वारंट पर रायगढ़ लाकर विशेष न्यायालय (अंतर्गज छ.ग. के निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005) रायगढ़ के समक्ष पेश कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी शशांक बी भापकर की जिले के चक्रधरनगर एवं पुलिस चौकी जूटमिल को तलाश थी। दोनों ही जगह अनियमित वित्तीय कंपनी साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड के स्थानीय एजेंट, शाखा मैनेजर तथा कंपनी के संचालकों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विधि अनुरूप कार्यवाही की गई है।

अनियमित वित्तीय कंपनी साई प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड के द्वारा वर्ष 2012 में अप्रैल से मई के मध्य रायगढ़ में आमजन को रकम जमा करने पर साढे 5 साल में निवेशक का रकम दोगुना होने और ज्यादा ब्याज देने का प्रलोभन देकर निवेशकों से लाखों रूपये जमा करा कर कंपनी को बंद कर भाग गए थे। थाना चक्रधरनगर में वर्ष 2016 में ग्राम छुहीपाली के पुनाऊ सिदार के आवेदन पर अपराध क्रमांक 126/2016 धारा 420, 467, 468, 471, 409, 120 बी आईपीसी 4,5,6 चिटफंड स्कीम पाबंदी अधिनियम एवं 6,5,10 छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। वहीं चौकी जूटमिल (थाना कोतवाली) में प्रार्थी रंजीत साहू पिता गोपाल साहू उम्र 26 साल साकिन सरईभदर चौकी जूटमिल रायगढ़ के रिपोर्ट पर कंपनी के विरूद्ध अप.क्र. 378/2016 दर्ज कर विवेचना में लिया गया था।

प्रकरण के अनुसंधान के क्रम में चक्रधरनगर पुलिस द्वारा स्थानीय एजेंट आरोपी गोपी यादव, मैनेजर कुलदीप कश्यप, डायरेक्टर वंदना बी भापकर और बालासाहेब बी भापकर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कंपनी साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड के डायरेक्टर के संबंध में रजिस्टार आफ कंपनीज गोवा से जानकारी प्राप्त किया गया। प्रकरण में आरोपी एजेंट गोपी यादव, मैनेजर कुलदीप कश्यप, डायरेक्टर वंदना बी भापकर, बालासाहेब भापकर के विरुद्ध चालान पेश किया गया। वही कंपनी के अन्य डायरेक्टर (1) प्रथमेश मिराजकर निवासी गांधी पथ चिंचवाड़, पुणे (2) शैलेश ए ए भोईर निवासी केशव नगर साईं नाथ मंदिर चिंचवड़ गांव पुणे (3) शशांक बी भापकर निवासी सीटीएस 1175 भक्ती पैराडाइज बिल्डिंग 3 लिंक रोड चिंचवाड़गांव फ्लैट पुणे (महाराष्ट्र) की गिरफ्तारी शेष होने से आरोपियों के विरुद्ध धारा 173(8) CrPC के तहत चालान न्यायालय पेश किया गया था। प्रकरण में फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। विवेचना क्रम में आरोपी शशांक बी भापकर के उप जेल जिला बलौदा बाजार में निरुद्ध होने की जानकारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीणा के दिशा निर्देशन पर थाना चक्रधरनगर से सहायक उपनिरीक्षक इंगेश्वर यादव के हमराह प्रधान आरक्षक हेम प्रकाश सोन आरक्षक शांति मिरी बलौदा बाजार रवाना हुई। जहां विवेचना कार्यवाही कर आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर रायगढ़ लाया गया। आरोपी शशांक बी भापकर को थाना चक्रधरनगर एवं चौकी जूटमिल (थाना कोतवाली) के मामले में गिरफ्तारी शुमार कर आरोपी से पूछताछ कर महत्वपूर्ण जानकारियां तथा कंपनी एवं आरोपी के चल-अचल संपत्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त किया गया बाद आरोपी को विशेष न्यायाधीश रायगढ़ के न्यायालय पेश कर आरोपी शशांक बी भापकर पिता बालासाहेब के भापकर उम्र 33 वर्ष निवासी सुकवाती उद्यान सोसायटी पिपरी चिंचपड लिंक रोड पुणे (महाराष्ट्र) हाल मुकाम पंचशील टावर थाना कोरेगांव जिला पुणे (महाराष्ट्र) को जेल वारंट पर पुनः उप जेल बलौदा बाजार आरोपी को दाखिल किया गया है।

कोटपा एक्ट के तहत 5 पान ठेलों पर हुई चालानी कार्यवाही

रायगढ़। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मधुलिका सिंह ठाकुर के दिशा-निर्देशन एवं डॉ.टी.जी कुलवेदी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम नोडल अधिकारी तथा सुश्री रंजना पैंकरा जिला कार्यक्रम प्रबंधक के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत आज रायगढ़ शहरी क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर जिंदल रोड क्षेत्र के आस-पास स्थित पान ठेला में कोटपा एक्ट-2003 अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही खाद्य एवं औषधी विभाग के ड्रग इंस्पेक्टरो के द्वारा कोटपा एक्ट बोर्ड नही लगाने तथा सार्वजनिक जगहों पर चेतावनी दिये बिना तम्बाकू एवं सिगरेट की बिक्री किये जाने हेतु 5 पान ठेलो के ऊपर आर्थिक रूप से दण्डात्मक (चालानी) 350 रूपये की वसूली की गई। साथ ही नियमों का पालन करने हेतु निर्देश दिये गये।

कोटपा एक्ट अधिनियम के तहत् सार्वजनिक स्थानों में प्रभारी/मालिक को हर प्रवेश द्वार एवं हर मंजिल में सुस्पष्ट स्थान पर 60 से.मी. लंबाई एवं 30 से.मी. चौडाई का पृष्ठभूमि में काले अक्षरों में बोर्ड लगाना आवश्यक है, जिसमें लिखा जाना है धूम्रपान रहित क्षेत्र यहा धूम्रपान करना एक अपराध है। उल्लघंन करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना किया जायेगा (काला घेरा और क्रास लाल रंग में) प्रदर्शित होना चाहिए तथा धारा 5 तंबाकू पदार्थो को बेचने वाली दुकानों पर 60 लं.से. मी. 45 चौ. से.मी. आकार के सफेद पृष्ठभूमि में काले अक्षरो में बोर्ड लगाना जिसमें लिखा जाना है कि तम्बाकू से कैंसर होता है एवं दूसरे और तम्बाकू उत्पादो (बीड़ी, खैनी, सिगरेट,गुटखा, सिगार, पान मसाला) का नाम लिखना है। धारा 6, के तहत् 18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है तथा समस्त शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है जिसका उल्लघन करने पर तथा 200 रूपये तक का जुर्माना है। धारा 7 के तहत् बिना चित्रित वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू पदार्थ के पैकेट बेचना अपराध है, साथ ही चित्रित वैधानिक चबाने वाले और पीने वाले तम्बाकू में दिये गये प्रारूप में छपी होनी चाहिये। सभी पान ठेलाओं में तम्बाकू से कैंसर होता है (बीड़ी, खैनी, सिगरेट,गुटखा, सिगार, पान मसाला) और 18 वर्ष के व्यक्तियों को तंबाकू पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है। दोनों का विज्ञप्ति बोर्ड अनिवार्य रूप से सभी पान ठेलाओं में जहा तम्बाकू एवं सिगरेट की खरीदी बिक्री की जाती हो वहा कोटपा एक्ट बोर्ड लगा होना आवश्यक है। उक्त चालानी कार्यवाही में शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधक पी.डी. बस्तीया सुश्री सीमा बरेठ प्रभारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से अमित राठौर, विजय सिंह, सविता रानी साय एवं संतोषी राज ड्रग इंस्पेक्टर की सहभागिता रही।

आंगनबाड़ी में रिक्त सहायिका पद के लिए 25 तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़। एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ (ग्रामीण)जिला-रायगढ़ अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र बरपाली क्रमांक 2 ग्राम पंचायत बरपाली विकासखण्ड रायगढ़ में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद के लिए 25 जनवरी 2023 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक आवेदिका नियत समय तक कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना (ग्रामीण)जिला-रायगढ़ में आवेदन जमा कर सकते है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय के सूचना पटल पर अवलोकन कर सकते है।

छत्तीसगढ़या ओलंपिक में खिलाड़ियों ने किया जिले का नाम रोशन

- उच्च शिक्षामंत्री उमेश पटेल ने विजयी खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत
- राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 5 रजत व 4 कांस्य सहित जीते 12 पदक

रायगढ़। छत्तीसगढ़या ओलंपिक के अंतिम चरण की राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा में रायगढ़ के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। विभिन्न श्रेणियों में जिले के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण और 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीते। समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कलेक्टर रानू साहू ने सभी विजयी खिलाड़ियों को उनकी इस उपलब्धि के लिए जिला प्रशासन की ओर से बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता रायपुर में 8 से 10 जनवरी तक आयोजित की गई। इसमें रायगढ़ जिले से 85 खिलाड़ियों का दल शामिल हुआ। ये खिलाड़ी संभाग स्तरीय प्रतियोगिता से क्वालीफाई कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल हुए।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की स्पर्धाएं 6 स्तर पर आयोजित की गई। पहले राजीव युवा मितान क्लब स्तर पर स्पर्धा हुई। जिसके पश्चात जोन स्तर फिर विकासखंड उसके बाद पश्चात जिला, संभाग और अंतिम में राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। प्रतियोगिता ग्रामीण और नगरीय निकाय दोनों में आयोजित की गई। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक मे 14 खेलों में प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई। जिसमें गिल्ली-डंडा, लंगड़ी दौड़, पि ूल, संखली, कबड्डी, खो-खो, रस्साकसी, बांटी (कंचा), गेड़ी दौड़, फुगड़ी, भौंरा, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, बिल्लस स्पर्धा का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता 3 वर्गो में आयोजित की गई। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में आयु वर्ग को तीन भागों में बांटा गया था। जिसमें पहला 18 वर्ष की आयु तक, दूसरा 18 से 40 वर्ष की आयु तक वहीं तीसरा 40 वर्ष से अधिक आयु तक इस प्रतियोगिता में महिला और पुरुष दोनों वर्ग के प्रतिभागी शामिल हुए।

इन खिलाड़ियों ने जीते पदक

लंगड़ी दौड़ प्रतियोगिता-पुरूष 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में रामकुमार चौहान एवं शिव कुमार चौहान द्वितीय रहे तथा महिला 18 से 40 आयु वर्ग में सुनीता यादव एवं कांता यादव तृतीय स्थान पर रही। इसी तरह भौंरा प्रतियोगिता महिला 18 से 40 आयु वर्ग में राजकुमारी खलखो द्वितीय एवं 40 वर्ष से अधिक आयु पुरूष वर्ग में हेतराम पटेल द्वितीय रहे। 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता महिला 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में कविता चौहान द्वितीय, गिल्ली डंडा प्रतियोगिता महिला 18 से 40 आयु वर्ग में अनुपा लकड़ा, वंदना लकड़ा, संगीता कुजूर, खुशबू लकड़ा एवं माधुरी लकड़ा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बांटी प्रतियोगिता महिला 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग में खुशबू भगत, सानिया चौहान, गगस्ती तिर्की एवं धात्री बेहरा-प्रथम, संखली प्रतियोगिता महिला 40 से अधिक आयु वर्ग में पदमिनी, सुनीता, हेमलता, जेमा, जीवन, सुलोचना एवं रामकुंवर द्वितीय रही। खोखो प्रतियोगिता पुरूष 18 से 40 आयु वर्ग में सरोज, घनश्याम, पंजाब, सूरज, सनत एवं मनोज, टिकेश्वर, गणेशराम, सुदामा, संजय, संतोष भोय एवं श्रीकांत प्रधान तृतीय एवं महिला 40 से अधिक आयु वर्ग में नमिता गुप्ता, जमुना कापड़ी, सेतमती पाव, संतोषिनी गुप्ता, विलासिनी सरल, मस्ताना सरल, कविता चौहान, पुष्पा चौहान, सिंधुलता एवं विनीता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। रस्साकसी प्रतियोगिता पुरूष 18 से 40 आयु वर्ग में रूपी कुजूर, राजेश, संजीव, मुन्ना, अजय, विनय कुमार, सुनील, वकील एवं बव्यानुस तीसरे स्थान पर रहे एवं 40 से अधिक आयु वर्ग में रामकुमार पटेल, कन्हैया पटेल, गोपी पटेल, मोतीलाल चौधरी, जीवन पाव, हितेश्वर प्रधान, भुजबल यादव, कैलाश प्रधान एवं रानू (रोहित)पटेल प्रथम स्थान पर रहे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480